(छ) सीपीएसईज का वर्गीकरण

44 (1) लोक उद्यमों के निदेशक–बोर्ड का गठन

सरकार कुछ समय से इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि इन उद्यमों के दक्षतापूर्ण कार्य संचालन के अनुरूप सरकारी उद्यमों के निदेशक बोर्डों की संरचना को कैसे युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। अब यह निश्चय किया गया है कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिएः

(i) बड़े बहु–यूनिट उद्यमों और बड़े व्यापारिक संगठनों में बोर्ड की विशिष्ट संरचना में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हो सकता है जिसकी सहायता के लिए कम से कम दो कार्य निदेशक होंगे, जिनमें से एक वित्त प्रभारी और दूसरा अंशकालिक निदेशक होगा।

जहां तक बहु–यूनिट अथवा बहु क्षेत्रीय उद्यमों के बोर्डों में निर्वाचक यूनिटों के महाप्रबंधकों और विभिन्न क्षेत्रों के कार्यपालक प्रभारी को सम्मिलित करने का प्रश्न है, कुछेक महाप्रबंधकों और निदेशकों को बारी–बारी से सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है। भले ही सभी महाप्रबंधकों को निदेशक नहीं बनाया जा सकता परंतु फिर भी, जो निदेशक बनने से रह जाते हैं, वस्तुतः उन्हें भी बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। निःसंदेह कुछ स्थितियों में उचित कारणों से इन सभी महा–प्रबंधकों को किसी विशेष बैठक में आमंत्रित नहीं किया जा सकता।

(ii) छोटे उद्यमों के बोर्ड की विशिष्ट संरचना में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कुछ अंशकालिक निदेशकों के साथ–साथ कार्य निदेशकों के रूप में उपक्रम के ही संभवतः दो वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो एक कार्य निदेशक को कार्यपालक निदेशक अथवा निदेशक (समन्वय) के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पास बहुत अधिक कार्य हो।

(iii) उपर्युक्त मद (i) और (ii) में उल्लिखित मामलों में यदि अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति किसी विशेष मामले में वांछनीय प्रतीत होती है तो इस पद पर नियुक्ति पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में उपयुक्त पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक की निश्चित रूप से नियुक्ति की जानी चाहिए।

(iv) बहु–यूनिट और बहु–क्षेत्रीय लोक उद्यम बोर्डों के अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या अर्थात् 12 से 15 के करीब, एक–तिहाई हो सकती है अपेक्षाकृत छोटे उद्यमों में सरकारी और गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों सहित बोर्ड के सदस्यों की संख्या 8 से 12 के बीच होनी चाहिए तथा गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या की करीब एक तिहाई होनी चाहिए।

(v) प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुरूप पैनल बनाने संबंधी चयन बोर्ड द्वारा तैयार किए जा रहे ''पैनल'' में से पूर्णकालिक अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्य निदेशक की नियुक्ति संबंधी नीति का बिना किसी अपवाद के पालन किया जाना चाहिए ताकि पैनल का अधिकाधिक प्रयोग हो सके। इसका उद्देश्य उद्यमों में इस स्तर पर भी इनके अपने अन्य स्तरीय ऐसे कार्यपालकों को पदोन्नत करना होना चाहिए, जिनके नाम सरकारी कर्मचारियों का पैनल और गैर सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों का पैनल बनाने पर विचार करने से पहले ''पैनल बनाने संबंधी चयन बोर्ड'' द्वारा छटनी करके भेजे गए हों।

(vi) बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति सामान्यतः संबंधित संयुक्त सचिव/निदेशक तक सीमित होनी चाहिए, परंतु कुछ मंत्रालयों के मामले में ''प्रबंध समन्वय सेल'' का गठन करने के लिए, जिसका कि औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय में प्रस्ताव रखा गया था अथवा प्रत्येक अधिकारी द्वारा धारित निदेशक के पद अथवा सदस्यों की संख्या संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए, इसके अंतर्गत कार्यरत अन्य कर्मचारियों का भी चयन किया जा सकता है।

(vii) अंशकालिक निदेशकों के संबंध में अंतरिम उपाय के रूप में गैर–सरकारी क्षेत्र के उन कर्मचारियों की सेवाओं का भी लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जा सकता है, जो स्वेच्छा से सरकारी उद्यमों में ऐसे उच्च स्तरीय पदों के लिए उपयुक्त समझे गए और जिनके नाम पैनल में रखे गए हैं। इस दौरान अंश–कालिक निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गए कर्मचारियों की विस्तृत सूची तैयार करके परिचालित कर दी जाएगी परंतु स्पष्टतः बोर्ड को यह अधिकार

होगा कि वह आवश्यकतानुसार सूची से इतर कर्मचारियों की भी नियुक्ति के लिए सूची में शामिल कर लें। औद्योगिक उद्यम बोर्ड के कामगारों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न के संबंध में श्रम एवं रोजगार विभाग का अंतिम निर्णय भी इस संदर्भ में संगत होगा।

(viii) इस प्रश्न के संबंध में लोक उद्यम बोर्ड के सरकारी प्रतिनिधियों में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, जबकि वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बड़े सरकारी उद्यमों में तो नियुक्त किया जा सकता है लेकिन छोटे उद्यमों का कार्य वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किए बिना भी चल सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में, जहाँ बोर्ड में वित्त मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि न हो, वहाँ उपक्रमों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संबंधित वित्तीय सलाहकारों ने (वित्त मंत्रालय से संबंधित व्यय प्रभागों के प्रमुख) बोर्ड की बैठकों, कार्य सूची संबंधी कागजातों तथा बैठकों के कार्यवृत्त की भी पर्याप्त समय पहले जानकारी प्राप्त कर ली है। इससे वित्त मंत्रालय उद्यमों के कार्यकलापों के संबंध में जानकारी रख सकेगा।

(ix) लोक उद्यम बोर्ड से संसद सदस्यों को अलग रखने के संबंध में नीतिगत निर्णय, जोकि कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर आधारित है, में कोई परिवर्तन न किए जाए। (राज्य उपक्रमों के संबंध में कृष्णा मेनन समिति की रिपोर्ट के संगत उद्धरण तथा इस संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुबंध में संलग्न है।)

2. उपर्युक्त निर्णयों को सूचनार्थ एवं अनुपालन के लिए पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय आदि की जानकारी में लाया जाए।

अनुबंध

राज्य उपक्रमों के संबंध में कृष्णा मेनन समिति की रिपोर्ट के उद्धरण तथा इस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय।

42. बोर्ड में सम्मिलित संसद सदस्य

एक अधिक कठिन प्रश्न संसद–सदस्यों (सांसदों) या विधान सभा सदस्यों (विधायकों) के संबंध में यह उठता है कि क्या उनको प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जाए। विचार–विमर्श में यह बात विरूद्ध जाती है। ऐसी सदस्यता में भले ही कोई पारिश्रमिक न हो लेकिन अधिकार तथा संरक्षण अधिक होता है। संबंधित संसद सदस्य लोक नियंत्रण प्रणाली का अंग होता है तथा संसद में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। किसी प्रतिष्ठान का निदेशक या उसके प्रशासन का अंग होने के कारण, वह आचरण एवं कार्यों, जो संसद उसे जांच पड़ताल करने समालोचना करने तथा निर्णय लेने के लिए सौंपती है, के लिए उत्तरदायी होता है। विशेष तथा गहन जानकारी होने के कारण वह उसका उपयोग संसद में या कहीं भी उस समय कर सकता है जब वह बोर्ड के अपने सहकर्मियों से असहमत हो तथा टीम से अलग चलना चाहता है, जिस टीम का वह सदस्य है। उसके सहकर्मी जो उसकी तरह संसद के सदस्य नहीं हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं। वे राज्य उपक्रमों में नियोजित कर्मचारी हैं। उसके संसदीय सहकर्मी भी घाटे में रहते हैं क्योंकि उसका बोलना विशेषज्ञ के रूप में तथा गहन जानकारी से परिपूर्ण होता है। जब विषय पर सदन में बहस की जाती है तो मंत्री अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाता है।

43. आगे विचारणीय बात यह भी है कि वह किसके लिए बोलता है?

(1) यदि वह संसद में उद्योग के संबंध में बोलता है तो वह मंत्री का स्थान लेता है;

(2) यदि वह बोर्ड का प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष होने के नाते बोर्ड के संबंध में बोलता है तो उसके पास अधिक दक्षता होती है जो अन्य सांसदों के पास नहीं होती;

(3) यदि वह आलोचना करने लगता है तो वह उद्योग सहित प्रत्येक को प्रतिकूल स्थिति में रखता है।

44. यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का संसद सदस्य, जो सरकार को किसी पद पर नहीं है, मंत्री के कार्यों तथा कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता है। वह उपर्युक्त कारणों के लिए आलोचक नहीं हो सकता है। इसलिए, संबंधित कम्पनी जिसके बारे में वह तो जानकारी प्राप्त कर सकता है लेकिन दूसरे नहीं और जिसका उसे उपयोग नहीं करना चाहिए, के अध्यक्ष या निदेशक होने के नाते वह न तो बचाव कर सकता है और न आलोचना ही। इस प्रकार यदि कोई संसद सदस्य अध्यक्ष या निदेशक हो, तो वह प्रतिष्ठान, जिससे वह जुड़ा है, के संबंध में विचार–विमर्श में भाग लेने के लिए स्वयं को वंचित करेगा और कुल मिलाकर इस तरह के प्रतिष्ठानों या राज्य प्रतिष्ठानों के संबंध में चर्चाओं में भाग लेने के संबंध में सीमाएं होंगी। दूसरी तरफ उससे संसद में उस समय उदासीन रूप में बैठने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जब ऐसे विषय के संबंध में बहस चल रही हो जिसकी उसे जानकारी है, वस्तुतः इससे उसके संसद सदस्य के रूप में पूरी तरह से कार्य करने में बाधा पहुँचेगी। दूसरी तरफ यदि वह अपने पद तथा जानकारी का उपयोग करता है तो वह उस प्रतिष्ठान जिसका वह सक्रिय तथा जिम्मेदार सदस्य है तथा बोर्ड को अधिक नुकसान पहुँचाता है तथा घाटे की स्थिति में पहुँचा देता है। उसके सहकर्मी तथा प्रतिष्ठान संसद में तब तक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते जब तक मंत्री ऐसा करने के लिए सिफारिश नहीं करते। विवाद इस बात पर होगा कि मंत्री किसका प्रतिनिधित्व करे। परिणामस्वरूप, निगमों में संसद सदस्यों की नियुक्ति पूर्णतया गलत होगी तथा उसे न्यायोचित ठहराना कठिन होगा।

उक्त सिफारिश के संबंध में सरकार का निर्णय।

''संसद–सदस्यों को निदेशक बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त न किया जाए''।

(लोक उद्यम ब्यूरो का 13 अक्तूबर, 1972 का सं. 2(158)/70 लोक उद्यम ब्यूरो (जी.एमत्र)